गन्ना विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी, बलरामपुर

गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें / कार्यक्रम

गन्ना विकास विभाग द्वारा निम्न प्रकार की राजकीय योजनायें संचालित हैंः–

1–जिला योजनाः इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं :–

1–उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रमः

विभिन्न शोधकेन्दों से प्राप्त ब्रीडर शीड से आधार पौधशालायें एवं स्थापित आधार पौधशालाओं से प्राथमिक पौधशालाओं की स्थापना चीनीमिल फार्मों एवं प्रगतिशील कृषकों के यहां कराई जाती है । स्थापित पौधशालाओं पर निम्नवत अनुदान देय है :

कमांक	पौधशाला	प्रति हे0 अनुदान (रू0)	
		सामान्य जाति	अनुसूचित जाति/जनजाति
1	आधार पौधशाला	1000.00	2000.00
2	प्राथमिक पौधशाला	500.00	1000.00

2–बीज / भूमि उपचार कार्यक्रमः

सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से वितरित कीटनाशक रसायनों एवं जमाव वर्धक दवाओं पर 12.50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है ।

3–अंशदायी आधार पर अंतर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण :

चीनीमिल क्षेत्रों में सुगम यातायात के दृष्टिगत अंशदायी आधार पर गन्ना आपूर्ति वाले ग्रामों को सड़क निर्माण कराकर जोडा जाता है । इस कार्यक्रम में 60 प्रतिशत धनराशि जिला योजना तथा 40 प्रतिशत धनराशि लाभान्वित संस्था (गन्ना विकास परिषद) द्वारा वहन किया जाता है ।

2–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः

यह योजना वर्तमान वर्ष 2011–12 से संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैंः

1–आधार पौधशाला अधिष्ठापन

विभिन्न शोधकेन्दों से केन्द्रक बीज प्राप्त कर प्रगतिशील कृषकों के यहां आधार पौधशाला की स्थापाना कराई जायेगी । स्थापित आधार पौधशालाओं से उत्पादित गन्ना बीज वितरण पर रू0 50.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय होगा जो अधिकतम रू0 12500.00(बारह हजार पांच सौ) होगा ।

2–प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापनः

आधार पौधशाला के बीज से प्राथमिक पौधशालाओं की स्थापना करायी जायेगी इन पौधशालाओं से बीज वितरण पर रू0 25.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय होगा जो अधिकतम रू0 12500.00(बारह हजार रू0 मात्र) होगा ।

3–क्षेत्र प्रदर्शनः

प्रगतिशील कृषकों के यहां क्षेत्र प्रदर्शन की स्थापना कराई जायेगी जिसका क्षेत्रफल 0.500 हे0 होगा , इस पर रू0 15000.00(पन्द्रह हजार) अनुदान देय होगा । अनु सूचित जाति /जनजाति के कृषकों के यहां 0.200 हे0 क्षेत्रफल रखा जा सकता है , जिस पर रू0 6000.00(छः हजार) अनुदान देय होगा । प्रदर्शन पर अनुदान का भुगतान फसल कटाई में जनपद की औसत उपज से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

4–कृषि यंत्र वितरण

कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जायेगा। मानव चालित यंत्र पर अधिकतम रू0 500.00 (पांच सौ) ,पशुचालित यंत्रों पर अधिकतम रू0 2500.00(दो हजार पांच सौ)एवं शक्ति चालित यंत्रों पर अधिकतम रू0 30000.00(तीस हजार) अनुदान देय होगा ।

5–बीज यातायातः

आधार पौधशाला अधिष्ठापन हेतु गन्ना शोधकेन्द्रों से अभिजनक बीज के यातायात पर वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 15 प्रति कु0 की दर से अनुदान देय होगा । प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन हेतु अनुदान वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 7 प्रति कु0 की दर से देय होगा ।

6–सूक्ष्म पोषक तत्व (माइकोन्युट्रियेन्ट) वितरणः

सूक्ष्म पोषक तत्व के वितरण पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1000 प्रति हे0 अनुदान देय होगा ।

7–उत्पादकता पुरस्कार :

कृषकों को जिला, मण्डल/परिक्षेत्र व राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जायेंगे :

क्र0	स्तर	प्रवेश शुल्क	पुरस्कार की धनराशि(रू0में)		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	जिला	150	15000-00	10000-00	7500-00
2	मण्डल / परिक्षेत्र	250	25000-00	15000-00	12500-00
3	राज्य	500	50000-00	35000-00	25000-00

8–मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापनाः

जिले की एक चीनीमिल में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कराई जायेगी, जिस पर लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 20.00 लाख) का अनुदान दिया जायेगा। इस प्रयोगशाला में मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच की व्यवस्था होगी ।

गन्ना कृषक सूचना प्रणाली

गन्ना कृषकों के हित में गन्ना विकास विभाग द्वारा चीनी मिलों के सहयोग से गन्ना कृषक सूचना प्रणाली की स्थापना करायी गई है :

1–किसानों को एस0एम0एस0 द्वारा सूचनायें भेजना:

किसानों को चीनी मिल चलने , उनकी पर्ची जारी होने ,उनके गन्ने के तौल हो जाने एवं उनका गन्ना मूल्य भुगतान उनके बैंक खाते में प्रेषित किये जाने की सूचना एस0एम0एस0 द्वारा उनके मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था प्रत्येक चीनी मिल में की गई है। इस व्यवस्था से किसान घर बैठे अपने गन्ने के आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त सूचनायें निःशुल्क स्वतः प्राप्त कर रहे है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्वेरी एस0एम0एस0 सिस्टम स्थापित कराया जा रहा है, जिससे कृषक अपने सर्वे,सट्टा, गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान की क्वेरी कर सकेंगे, कृषकों को तुरन्त जवाबी एस0एम0एस0 प्राप्त होगा ।

2–आई0वी0आर0एस0:

कृषकों को गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी समस्त जानकारी दूरभाष के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु कम्प्यूट्राइज्ड स्वचलित आई0वी0आर0एस0 सिस्टम की स्थापना प्रत्येक चीनीमिल में कराई गई है । इसके माध्यम से कृषक जब चाहें अपने सट्टे आदि से सम्बन्धित जानकारी दूरभाष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चीनीमिलों के आई0वी0आर0एस0 नम्बर निम्नवत हैं:

चीनीमिल बलरामपुर–05263–232912, टोल फ्री नम्बर: 1800–180–5271

चीनीमिल तुलसीपुर– 05264–244351 टोल फ्री नम्बर: 1800–180–5273

चीनीमिल इटईमैदा– 05265–224221 टोल फ्री नम्बर: 1800–120–0212

3– किसानों के गन्ना क्षेत्रफल एवं उनके सट्टे आदि की जानकारी वेबसाइट पर :

किसानों के गन्ना क्षेत्रफल एवं उनके सट्टे आदि की सूचनायें चीनी मिलों की वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई हैं। कृषक भाई इन्टरनेट के माध्यम से अपने सर्वे/ सट्टा आदि की जानकारी किसी भी समय कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। चीनीमिलों की वेबसाइट निम्नवत हैं:

क्र0	नाम चीनीमिल	चीनीमिल की वेबसाइट
1	बलरामपुर	www.bcmlcane.in /kisaan-suvidha
2	तुलसीपुर	www.bcmlcane.in /kisaan-suvidha
3	इटईमैदा	www.bhlcane.com

4–एच0एच0सी0की की स्थापनाः

चीनी मिल गेट के अतिरिक्त वाह्य क्रयकेन्द्रों पर गन्ने की तौल मकैनिकल वेब्रिज के माध्यम से की जाती थी । विगत पेराई सत्र में कुछ वाह्य क्रयकेन्द्रों पर Hand Held Computer के माध्यम से तौल की व्यवस्था कराई गई , जिसका परिणाम उत्साहवर्धक रहा है । आगामी पेराई सत्र में समस्त वाह्य क्रयकेन्द्रों पर Hand Held Computer के माध्यम से तौल कराये जाने की व्यवस्था कराई जा रही है ।

योजनावार अद्यतन प्रगति विवरण

1–जिला योजना

कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत धनराशि(ला0रू0)			अवमुक्त धनराशि(ला0रू0)			भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय ला0 रू0
1–उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम	2.00	0.50	2.50	2.40	0.50	2.90	450 हे0	पौधशालाये स्थापित हैं। सफल होने पर विभागीय नियमानुसार अनुदान का वितरण किया जायेगा ।	––
2–बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम	2.80	0.20	3.00	1.05	0.10	1.015	2400 हे0	800 हे0	1.05
3–अन्तर्ग्रामीण सडक निर्माण कार्यक्रम	50.00	0.00	50.00	25.00	0.00	25.00	3.200 कि0मी0 सड़क निर्माण	लक्ष्य के अनुसार 3 मार्गों के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है , बारिश के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था । कार्य प्रारम्भ करने हेतु ठेकेदारों को नोटिस जारी कराई गई है ।	
	54.80	0.70	55.50	28.45	0.60	29.05			

2–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः योजनान्तर्गत प्रथम किश्त की आधी धनराशि अंकन रू0 11.20 लाख दिनांक 23.09.2011 को प्राप्त हुई है, जिसके लिये कृषकों के चयन हेतु दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' के 01.10.2011 एवं ''अमर उजाला'' के अंक 02.10.2011 में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार कृषकों का चयन किया जा रहा है । प्राप्त धनराशि का कार्यक्रमवार विवरण निम्नवत है :

1–आधार पौधशाला–––0.90 ला0रू0

2–कृषि यंत्र वितरण–––2.70 ला0रू0

3–क्षेत्र प्रदर्शन–––––––1.05 ला0रू0

4–गन्ना बीज यातायात–0.45 ला0रू0

योग 11.30 ला0रू0

––––––––––––––––––––––––

(डा0आर0डी0द्विवेदी)

जिला गन्ना अधिकारी

बलरामपुर